

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी
देवेन्द्र वर्मा पुत्र बाबुलाल जाति सरगरा
निवासी खीमेल तह. बाली जिला पाली

बनाम

अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं. GCMS No. 2025/346
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
30/6/25	<p>वकील प्रार्थी श्री छगनलाल उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध अप्रार्थी पेश कर राजस्व रेकर्ड में ग्राम खीमेल पटवार हल्का खीमेल के खाता संख्या 698 में त्रुटिपूर्ण नाम देवाराम पुत्र बाबुलाल के स्थान पर देवेन्द्र वर्मा पुत्र बाबुलाल किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी राज पेरोकार उपस्थित। अप्रार्थी राज पेरोकार ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में अनापत्ति जाहिर की। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय को सुनने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में ग्राम खीमेल पटवार हल्का खीमेल के खाता संख्या 698 में त्रुटिपूर्ण नाम देवाराम पुत्र बाबुलाल के स्थान पर सही नाम देवेन्द्र वर्मा उर्फ देवाराम पुत्र बाबुलाल दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का खीमेल आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



30/6/25
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली